भारत सरकार
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या: 883
29 नवम्बर, 2024 को उत्तर देने के लिए

एक्यूपंक्चर को मान्यता

883. श्री के. गोपीनाथः

क्या **स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार द्वारा एक्यूपंक्चर को स्वास्थ्य चिकित्सा प्रणाली के रूप में मान्यता प्रदान करने हेतु कोई कार्रवाई की गई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने उक्त प्रयोजनार्थ और देश में एक्यूपंक्चर के संवर्धन के लिए किसी शीर्ष समिति का गठन किया है और यदि हां, तो शीर्ष समिति की सिफारिशों और दिशानिर्देशों सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा शीर्ष समिति की सिफारिशों और दिशानिर्देशों पर क्या कार्रवाई की गई है/की जानी है;

(घ) क्या सरकार एक्यूपंक्चर के लिए राष्ट्रीय स्तर की कोई परिषद् गठित करने पर विचार कर रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) क्या सरकार ने आयुष मंत्रालय के साथ एक्यूपंक्चर को आयुष के अंतर्गत शामिल करने हेतु कोई चर्चा की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री प्रतापराव जाधव)

(क) से (ङ): विशेषज्ञों की स्थायी समिति की सिफारिशों के आधार पर, एक्यूपंक्चर के अभ्यास को 'चिकित्सा उपचार की एक विधा' के रूप में योग्य पाया गया था। तत्पश्चात, स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग द्वारा गठित अंतर-विभागीय समिति (आईडीसी) ने वर्ष 2018 में यह सिफारिश की है कि एक्यूपंक्चर को उन संकेतों के लिए स्वास्थ्य देखभाल की एक स्वतंत्र प्रणाली के रूप में स्वीकार किया जा सकता है, जिनके लिए साक्ष्य हैं और शिक्षण, प्रशिक्षण और प्रमाणन के लिए विशेषज्ञता मौजूद है।

आईडीसी की रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात, स्वास्थ्य सेवा/चिकित्सा उपचार की एक प्रणाली के रूप में एक्यूपंक्चर के प्रचार और विनियमन के उद्देश्य से 'एक्यूपंक्चर पर शीर्ष समिति' (एसीए) का गठन किया गया था । एसीए की सिफारिशों और दिशा-निर्देशों में एक्यूपंक्चर में प्रमाण-पत्र, डिग्री और डिप्लोमा पाठ्यक्रमों के लिए प्रस्तावित पाठ्यक्रम; प्रणाली को विनियमित करने के लिए नियमों और विनियमों के लिए प्रस्तावित टेम्पलेट, और

एक्यूपंक्चर उपचार के लिए प्रतिपूर्ति के लिए सुझाव भी शामिल हैं। समिति ने आगे सिफारिश की थी कि दिशा-निर्देशों को लागू करने के लिए, भारत सरकार एक उपयुक्त नियामक तंत्र स्थापित करने के बारे में उचित निर्णय ले सकती है ताकि देश में स्वास्थ्य सेवा और चिकित्सा उपचार की एक प्रणाली के रूप में एक्यूपंक्चर के अभ्यास के प्रचार और विनियमन के लिए अनुकूल वातावरण और प्रणाली सुनिश्चित की जा सके।

एक्यूपंक्चर पर शीर्ष समिति की सिफारिशों पर एक उपयुक्त नियामक तंत्र स्थापित करने के लिए सक्रिय रूप से विचार किया गया और आयुष मंत्रालय सहित कई विभागों को लेकर एक व्यापक परामर्श पूरा किया गया। एक्यूपंक्चर प्रणाली पर एक उपयुक्त नियामक तंत्र की स्थापना और एक्यूपंक्चर पेशेवरों के विनियमन को " राष्ट्रीय सहबद्ध और स्वास्थ्य देख-रेख वृत्ति आयोग (एनसीएएचपी) अधिनियम, 2021" के दायरे में लाने का मामला स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग द्वारा 26.09.2024 को एक अधिसूचना के प्रकाशन के साथ पूरा हो गया है, जिसमें एक्यूपंक्चर पेशेवरों (आईएससीओ कोड: 2230, 3230) को राष्ट्रीय सहबद्ध और स्वास्थ्य देख-रेख वृत्ति आयोग (एनसीएएचपी) अधिनियम, 2021 की अनुसूची में शामिल किया गया है।

****